बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–3/अ०प्र०–1–91/2013 674 /पटना, दिनांक :– 28·2·2020

श्री मिथिलेश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई–3, पटना के पत्रांक 409 दिनांक 21.02.2013 द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित मामले में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–06/13 दिनांक 19.02.2013 धारा 13(2)–सह–पठित 13(1)(ई) भ्र0नि0अधि0–1988 दर्ज किये जाने की सूचना विभाग को प्राप्त होने के पश्चात् श्री कुमार को अधिसूचना संख्या–1024–सह–पठित ज्ञापांक 1025 दिनांक 12.03.2013 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया एवं उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2148 अनु0 दिनांक 06.06.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 150 दिनांक 31.08.2018 के माध्यम से श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित प्रथम आरोप को प्रमाणित होने, द्वितीय आरोप को सीधा संबंध आपराधिक होने के कारण इस पर मंतव्य गठित करना वैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होने एवं आरोप संख्या–3 के संबंध में मंतव्य गठित करना आपराधिक वाद के अंतिम निर्णय पर निर्भर होने का मंतव्य दिया गया।

3. उक्त जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 2804 अनु0 दिनांक 03.12.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री कुमार से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. श्री कुमार के पत्रांक शून्य (कैम्प, पटना) दिनांक 28.02.2019 एवं पत्रांक शून्य दिनांक 02.09.2019 द्वारा अपने विरूद्ध प्रमाणित आरोप पर द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं कर अन्य कागजातों की मांग की गयी, जिसे पूर्व में ही विभाग द्वारा श्री कुमार को उपलब्ध करा दिया गया था। द्वितीय बचाव बयान समर्पित करने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किये जाने के बावजूद भी श्री कुमार द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित नही किया गया। श्री कुमार से द्वितीय बचाव बयान अप्राप्त रहने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार का आरोप है, जो विभागीय कार्यवाही में भी प्रमाणित पाया गया है। समीक्षोपरान्त यह मानते हुये कि प्रमाणित आरोप के प्रसंग में श्री कुमार को अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री मिथिलेश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(xi) के तहत तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त,

जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। इसके पश्चात् श्री कुमार का द्वितीय बचाव बयान विभाग को प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में श्री कुमार के द्वितीय बचाव बयान का कोई औचित्य नहीं रह जाने के कारण उसपर विचार नहीं किया गया।

6. श्री कुमार के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक–2956 अनु0 दिनांक 17.10.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 3009 दिनांक 14.02.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

7. विभागीय संलेख ज्ञापांक–576 अनु० दिनांक 20.02.2020 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध उक्त दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु संलेख मंत्रिपरिषद् को प्रेषित किया गया, जिसके आलोक में उक्त प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.02.2020 में मद संख्या–7 के रूप में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. **अतः उक्त के आलोक में श्री मिथिलेश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल, दरभंगा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(xi) के तहत तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी की शास्ति अधिरोपित अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28/2/2020

(मनोज कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–91/2013 675 /पटना, दिनांक :– 28.2.2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, गजट वित्त विभाग, बिहार ,पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी० डी० के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–91/2013 675 /पटना, दिनांक :– 28.2.2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव
28/2/2020.

ज्ञापांक :— 3/अ०प्र०—1—91/2013 675 /पटना, दिनांक :— 28.2.2020.

प्रतिलिपि :— विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.02.2020 में मद संख्या—7 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3009 दिनांक 14.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/2020

उप सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ०प्र०—1—91/2013 675 /पटना, दिनांक :— 28.2.2020

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/सासाराम/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव (लेखा प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/अपर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान/दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी—6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर/श्री मिथिलेश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

28/2/2020

उप सचिव